न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 13/89

1. खाना उर्फ नन्दा आत्मज श्री भैरूलाल आयु 72 वर्ष जाति भील ।
2. रामा आत्मज श्री रतना आयु 55 वर्ष जाति भील ।
3. श्रीमती नन्दूबाई पत्नी स्वर्गीय कालू निवसीगण मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. जितेन्द्र आत्मज स्वर्गीय कालू आयु 10 वर्ष नाबालिग ।
5. जशोदा पुत्री स्वर्गीय कालू आयु 17 वर्ष नाबालिग ।
6. राधा पुत्री स्वर्गीय कालू आयु 15 वर्ष नाबालिग ।
7. अनिता उर्फ फौरी पुत्री स्वर्गीय कालू आयु 08 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती नन्दू बाई पत्नी स्वर्गीय कालू जातियान भील निवासीगण ग्राम मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. शंकर आत्मज कान्हा उर्फ नन्दा आयु 32 वर्ष जाति भील ।
9. शैतान आत्मज कान्हा उर्फ नन्दा आयु 28 वर्ष जाति भील निवासीगण ग्राम मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी । ----अपीलान्ट

बनाम

1. मोहन आत्मज स्वर्गीय कैल्या जाति भील निवासी हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) के कायममुकामान :–
   1/1. भूरी बाई बेवा मोहन बालिग ।
   1/2. हनुमान आत्मज मोहन बालिग ।
   1/3. महावीर आत्मज मोहन बालिग जातियान भील निवासीगण ग्राम ओवण का झोपडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. चन्द्रकला आत्मज स्वर्गीय केल्या जाति भील निवासी ओवण का झोपडा ।
3. भीवडा आत्मज घांसी जाति भील निवासी ओवण का झोपडा मृतक जरिये कायममुकामान :–
   3/1. गोपाल आत्मज स्वर्गीय भीवडा जाति भील ।
   3/2. कैलाश आत्मज स्वर्गीय भीवडा जाति भील ।
   3/3. श्रीमती जमनाबाई पत्नी स्वर्गीय भीवडा जाति भील निवासीगण तेजाजी का झोपडा (ओवण) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. श्रीमान् तहसीलदार साहब एवं उप पंजीयक महोदय हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ----रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री वहीद अहमद शेख , अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 23.05.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.02.2011 के विरूद्ध पेश की गई है ।

...करण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 18 बीघा 02 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि स्वर्गीय खाना आत्मज हरदेवा के खातेदारी की भूमि थी । मृतक खाना वादी केल्या के पास ही रोटी खाता था तथा वादीगण ने ही उसकी सेवा की । वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार खाना की मृत्यु के उपरान्त उसके निकट उत्तराधिकारी खाना के स्वर्गीय पिता हरदेव के भाई स्व0 घासी के पुत्र वादीगण कैल्या एवं भीवडा ही होने के कारण नामान्तरकरण संख्या 134 द्वारा वादग्रस्त आराजी को वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया था । प्रतिवादीगण जानबूझकर वादीगण के खातेदारी की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल नहीं करे, जबरन ताकत के बल पर कब्जा नहीं करे एवं वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर कब्जा कर ले तो उसे वापस वादी को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.02.2011 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निर्णय एंव डिकी पारित की।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.02.2011 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी से वादीगण रेस्पोडेन्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त है । उक्त भूमि अपीलान्ट खाना उर्फ नन्दा आत्मज भैरूलाल जाति भील निवासी मराडी को राज्य सरकार द्वारा आवंटित की थी जिस पर खाना उर्फ नन्दा जिसे दानों नामों से पुकारा जाता है उसका राजस्व रिकॉर्ड में खाना आत्मज भैरू के रूप में खाते में नाम अंकित था और वही विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । सेटलमेंट के समय खाते में खाना आत्मज भैरू जो कि प्रतिवादी कम 1 है उसी का नाम अंकित हो रहा था परन्तु सेटलमेंट के पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में खाना के पिता का नाम हरदेव अंकित कर दिया और इसी का फायदा उठा कर वादीगण विवादित भूमि को अपने कब्जे की बता कर उनके द्वारा वाद पेश किया था । प्रतिवादीगण खाना उर्फ नन्दा के भाई रामा एवं उसके तीन पुत्रों कालू, शंकर एंव शैतान को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण बनाया था जिसमें कालू का करीब आठ वर्ष पहले ही स्वर्गवास हो चुका है जिसकी जानकारी वादीगण को होने के बावजूद भी वादीगण द्वारा स्वर्गीय कालू के कायममुकाम व उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं

[illegible] और न ही कालू के स्वर्गवास की कोई जानकारी वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में [illegible] गई । इसलिए भी वादीगण का वाद कालू की सीमा तक अबेट हो चुका था । उसके बावजूद भी वादीगण द्वारा तथ्यों को छिपा कर निर्णय व डिक्री पारित की है । वादीगण रेस्पोडेन्ट ने खातेदार नन्दा उर्फ खाना को मृतक बातकर नामान्तरकरण संख्या 134 से दिनांक 07.06.1992 को केल्या व भीवडा पिसरान घासी द्वारा विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार खाना के स्थान पर अपना नाम अंकित करवा लिया था जिसकी जानकारी होने पर नन्दा उर्फ खाना द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी के न्यायालय में उक्त नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अपील करने पर नामान्तरकरण आदेश दिनांक 07.06.1992 निरस्त कर उक्त प्रकरण को इन निर्देशों के साथ तहसीलदार हिण्डोली को प्रतिप्रेषित किया था कि वह खाना भील के उत्तराधिकारियों की सम्बन्ध में विस्तृत जॉच कर नामान्तरकरण आदेश पारित करें जिसके विरूद्ध केल्या व भीवडा द्वारा संभागीय आयुक्त महोदय कोटा द्वारा दिनांक 23.03.2006 को निर्णय पारित कर अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी के निर्णय को बहाल रखा था । वादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इन तथ्यों को छुपाकर वाद पेश किया है जो निरस्तनीय है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 14.02.2011 निरस्त फरमया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । उक्त भूमि स्वर्गीय खाना आत्मज हरदेवा के खातेदारी की भूमि थी । मृतक खाना वादी केल्या के पास ही रोटी खाता था तथा वादीगण ने ही उसकी सेवा की । वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार खाना की मृत्यु के उपरान्त उसके निकट उत्तराधिकारी खाना के स्वर्गीय पिता हरदेव के भाई स्व0 घासी के पुत्र वादीगण कैल्या एवं भीवडा ही होने के कारण नामान्तरकरण संख्या 134 द्वारा वादग्रस्त आराजी को वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया था । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और वह उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं रिकॉर्डेड खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना चाहिए । प्रतिवादीगण अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर वादीगण रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करते हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 14.02.2011 बहाल रखा जावे।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और वह उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । उक्त भूमि स्वर्गीय खाना आत्मज हरदेवा के खातेदारी की भूमि थी । । वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार खाना की मृत्यु के उपरान्त उसके उत्तराधिकारी खाना के स्वर्गीय पिता हरदेव के भाई स्व0 घासी के पुत्र वादीगण कैल्या एवं भीवडा ही होने के कारण नामान्तरकरण संख्या 134 द्वारा वादग्रस्त आराजी को वादीगण रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया था । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और वह उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं रिकॉर्डेड खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना चाहिए ।

हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.02.2011 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिकी

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 13/89

1. खाना उर्फ नन्दा आत्मज श्री भैरूलाल आयु 72 वर्ष जाति भील ।
2. रामा आत्मज श्री रतना आयु 55 वर्ष जाति भील ।
3. श्रीमती नन्दूबाई पत्नी स्वर्गीय कालू निवसीगण मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. जितेन्द्र आत्मज स्वर्गीय कालू आयु 10 वर्ष नाबालिग ।
5. जशोदा पुत्री स्वर्गीय कालू आयु 17 वर्ष नाबालिग ।
6. राधा पुत्री स्वर्गीय कालू आयु 15 वर्ष नाबालिग ।
7. अनिता उर्फ फौरी पुत्री स्वर्गीय कालू आयु 08 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती नन्दू बाई पत्नी स्वर्गीय कालू जातियान भील निवासीगण ग्राम मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. शंकर आत्मज कान्हा उर्फ नन्दा आयु 32 वर्ष जाति भील ।
9. शैतान आत्मज कान्हा उर्फ नन्दा आयु 28 वर्ष जाति भील निवासीगण ग्राम मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—अपीलाथी

बनाम

1. मोहन आत्मज स्वर्गीय कैल्या जाति भील निवासी हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) के कायममुकामान :—
   1/1. भूरी बाई बेवा मोहन बालिग ।
   1/2. हनुमान आत्मज मोहन बालिग ।
   1/3. महावीर आत्मज मोहन बालिग जातियान भील निवासीगण ग्राम ओवण का झोपडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. चन्द्रकला आत्मज स्वर्गीय केल्या जाति भील निवासी ओवण का झोपडा ।
3. भीवडा आत्मज घांसी जाति भील निवासी ओवण का झोपडा मृतक जरिये कायममुकामान :—
   3/1. गोपाल आत्मज स्वर्गीय भीवडा जाति भील ।
   3/2. कैलाश आत्मज स्वर्गीय भीवडा जाति भील ।
   3/3. श्रीमती जमनाबाई पत्नी स्वर्गीय भीवडा जाति भील निवासीगण तेजाजी का झोपडा (ओवण) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. श्रीमान् तहसीलदार साहब एवं उप पंजीयक महोदय हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

—प्रत्यर्थी

आदेश निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 14.02.2011 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड .. बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 27/दावा/2002

1. कैल्या आत्मज घांसी जाति भील ग्राम मराडी (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   1/1. चन्द्र कला आत्मज स्वर्गीय घांसी जाति भील
2. भीवडा पुत्र घांसी
3. मोहन पुत्र कैल्या जाति भील । ---वादी

बनाम

1. नन्दा आत्मज भैरू भील निवासी चित्रकूट का झोंपडा (मराडी) ।
2. रामा आत्मज रतना भील निवासी चित्रकूट का झोंपडा (मराडी) ।
3. कालू आत्मज नन्दा भील निवासी चित्रकूट का झोंपडा (मराडी) ।
4. शंकर आत्मज नन्दा भील निवासी चित्रकूट का झोंपडा (मराडी) ।
5. शैतान आत्मज नन्दा भील निवासी चित्रकूट का झोंपडा (मराडी) ।
6. राजस्थान राजय द्वारा तहसीलदार हिण्डोली ।

---प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.02.2011 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 23.05.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री वहीद अहमद शेख एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.02.2011 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 23.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा